

15045

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लेखपत्र का सक्षिप्त विवरण (विक्रय अनुबन्ध कब्जा रहित)

- 1- भूमि का प्रकार - कृषि
- 2- वार्ड परगना -
- 3- मौहल्ला / ग्राम - ग्राम नूरनगर परगना, तहसील व जिला मेरठ
- 4- सम्पत्ति का विवरण - खसरा संख्या 167
- 5- सम्पत्ति का क्षेत्रफल - क्षेत्रफल 0.3240 हैक्टेरों में से 0.07485 हैक्टेरों यानि अपना कुल हक व हिस्सा
- 6- सड़क की स्थिति - हापुड़ बाईपास से लगभग 700 मी० की दूरी पर
- 7- दिया गया अग्रिम धन - अंकन 18,61,000/- (केवल अठ्ठारह लाख इकसठ हजार रुपये)
- 8- सर्किल रेट के अनुसार मालियत - अंकन 22,39,000/- (केवल बाईस लाख उन्तालीस हजार रुपये)



(पं. प्र. अ. ६०६६/३६६६)

Rajesh



कमरा :- 2

इस दस्तावेज़ पर दिया गया

₹ 25000

₹ 13,51,16 के साथ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E-124211

(2)

प्रथम पक्ष की संख्या - 1

श्रीमती छोटी उर्फ कान्ति पत्नी श्री जिले सिंह पुत्री स्व० श्री बीरबल निवासी ग्राम मुबारिकपुर, तहसील मवाना व जिला मेरठ।

व्यवसाय - गृहणी

द्वितीय पक्ष की संख्या - 1

मैसर्स तिरुपति एसोसियेट्स कार्यालय ग्राम नूरनगर, मेरठ द्वारा कारकून श्री राजेश चौधरी पुत्र श्री ज्ञानचन्द निवासी 16, जमरूद पुर, दिल्ली हाल निवासी ए-49, शताब्दी नगर, मेरठ।

व्यवसाय :- व्यापार

क्रमशः - 2

(कान्ति उर्फ छोटी)

Rajesh



(2)

विक्रय अनुबन्ध कब्जा रहित

स्टाम्प शुल्क :50,000/- रुपये।

मैं कि श्रीमती छोटी उर्फ कान्ति पत्नी श्री जिले सिंह पुत्री स्व० श्री बीरबल निवासी ग्राम मुबारिकपुर, तहसील मवाना व जिला मेरठ ————— प्रथम पक्ष।।

एवं

मैसर्स तिरुपति एसोसियेट्स कार्यालय ग्राम नूरनगर, मेरठ द्वारा कारकून श्री राजेश चौधरी पुत्र श्री ज्ञानचन्द्र निवासी 16, जमरूद पुर, दिल्ली हाल निवासी ए-49, शताब्दी नगर, मेरठ ————— द्वितीय पक्ष।।

जोकि भूमि भूमिधारी मध्ये खसरा संख्या 167 क्षेत्रफल 0.3240 हैक्टे० भूमि के स्वामी प्रथम पक्ष के पिता श्री बीरबल थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 0.1743 हैक्टे० भूमि विक्रय कर दी थी। अब शेष 0.1497 हैक्टे० में से 0.07485 हैक्टे० भूमि स्थित ग्राम नूरनगर परगना तहसील व जिला मेरठ यानि अपने कुल हक व हिस्से के मालकिन एवं स्वामिनी तथा हस्तान्तरणधिकारी मैं प्रथम पक्ष उपरोक्त हूँ। उपरोक्त भूमि मेरे पिता स्व० श्री बीरबल पुत्र श्री रिसाल निवासी ग्राम नूरनगर परगना तहसील व जिला मेरठ की मृत्यु के पश्चात बहैसियत वारिसान के रूप में प्राप्त हुई हैं। और समस्त राजस्व अभिलेखों में विक्रयाधीन खसरा नम्बर पर प्रथम पक्ष का नाम रा०नि० द्वारा प्रपत्र पक 11ख दिनांक 13-08-2012 के आदेशानुसार मालिक एवं स्वामी के रूप में दर्ज हुआ किन्तु उपरोक्त आदेश दिनांक 13-08-2012 के विरुद्ध एक वाद संख्या 74, धारा-34 एल०आर०एक्ट० श्रीमती मंजू जैन आदि बनाम बीरबल में न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक) के आदेश दिनांक 13-12-2012 में राजस्व निरीक्षक का प्रपत्र पक-11ख का आदेश दिनांक 13-08-2012, जिसमें मृतक बीरबल के स्थान पर मेरा नाम जो बतौर वारिसान दर्ज हुआ था, की प्रविष्टि को निरस्त कर दिया गया। उपरोक्त आदेश एवं निर्णय दिनांक 13-12-2012 के सम्बन्ध में मेरे द्वारा सक्षम न्यायालय में श्रीमती मंजू जैन बनाम बीरबल दाखर किया हुआ है जिसमें मैं



(श्रीमती छोटी उर्फ कान्ति)

Rajesh

कमरा :- 4

2,239,000.00

विक्रय अनुबंध विलेख (बिना कब्जा)

1,861,000.00

10,000.00

20

10,020.00

1,000

प्रतिकूल	गालियन	अशिम धनराशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शुद्ध लगभग
श्रीमती	छोटी उर्फ कान्ति					
एलनी श्री	जिले सिंह					

निवासी मुबारिकपुर मवाना मेरठ

संयुक्त लेखक इम कार्यालय में 14 मघ 2:45PM

वके निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर
 एम0 पी0 मिश्र
 उपनिबन्धक तृतीय
 मेरठ
 9/12/2014

निष्पादन लेखपत्र वाद रजिस्ट्रेशन मन्मथ व प्रान्त धनराशि रु प्रलेखनकार उक्त

श्रीमती छोटी उर्फ कान्ति
 एलनी श्री जिले सिंह
 पेशा
 निवासी मुबारिकपुर मवाना मेरठ

मे0 तिरुपति एस0 द्वारा कारकून श्री राजेश चौधरी
 पुत्र श्री ज्ञानचन्द
 पेशा
 निवासी 16 जमरूद पुर दिल्ली

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिले सिंह

पुत्र श्री तेग सिंह

निवासी मुबारिकपुर मेरठ

ह की लमेश कुमार
एलनी श्री एस पी सिंह

निवासी पावली खुर्द मेरठ

ने की।
पुनर्दान कर कर्तव्यों के निशान उंगुठे निबन्धानुसार लिखे गये हैं।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर
 एम0 पी0 मिश्र
 उपनिबन्धक तृतीय
 मेरठ
 9/12/2014

(4)

प्रथम पक्ष के पक्ष में निर्णय आने की पूरी उम्मीद है। इस वाद के अलावा उपरोक्त भूमि आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्त एवं रहित है और कोई ऋण या लोन किसी बैंक, संस्था, सरकारी, गैर सरकारी संस्था या व्यक्ति से प्रथम पक्ष ने इस भूमि पर नहीं लिया है और नाहिं उपरोक्त भूमि कहीं पर बन्धक है और ना ही उक्त के दीगर इस भूमि से सम्बन्धित कोई वाद-विवाद किसी न्यायालय में लम्बित या विचाराधीन है तथा प्रथम पक्ष को स्वामी एवं मालिक होने की हैसियत से उपरोक्त भूमि को मुख्तारनामा, इकारारनामा, आदि द्वारा हस्तान्तरित करने के समस्त अधिकार प्राप्त है कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष के अधिकारों में बाधक नहीं है प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को भी यही विश्वास दिलाया है। और प्रथम पक्ष की उक्त बात पर विश्वास करने के उपरान्त ही द्वितीय पक्ष उक्त भूमि को खरीद करने के लिये रजामन्द हुये है, प्रथम पक्ष ने उपरोक्त वर्णित भूमि को विक्रय करने का सौदा द्वितीय पक्ष से अंकन 22,39,000/- (केवल बाईस लाख उन्तालीस हजार रुपये) में तय कर लिया है और कुल विक्रय मूल्य के मध्ये अंकन रुपये 18,61,000/- (केवल अठ्दरह लाख इक्सठ हजार रुपये) निम्न लिखितानुसार प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से अग्रिम धन/एडवान्स मनी के रूप में प्राप्त कर लिये है और उपरोक्त भूमि से सम्बन्धित द्वितीय पक्ष की ओर कुल मूल्य में से अंकन रुपये 3,78,000/- (केवल तीन लाख अठैत्तर हजार रुपये) शेष रहा है। अतः दोनों पक्ष एवं उनके उत्तराधिकारीगण निम्न लिखित के बंधन में रहेंगे।

1. यह कि कतई खाली भूमि का अधिपत्य प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को नहीं दिया गया है कब्जा उपरोक्त भूमि से सम्बन्धित समस्त वाद के अन्तिम रूप से निर्णित हो जाने के बाद बचका बैनामा दिया जापुगा।
2. यह कि आज और अब के बाद प्रथम पक्ष को कोई अधिकार उक्त भूमि को कहीं बन्धक या किसी और व्यक्ति से सौदा करने का हक, अधिकार नहीं रह गया है और ना भविष्य में होगा।



२१०५० ६०९ ३६ ३०९१

Rajesh

कमश - 5

विक्रेता

Registration No: 15045


Year: 2014

Book No.: 1

0101 छोटी उर्फ कान्ति

निले सिंह

गुबारिकपुर पंचायत गेरत



(5)

3. यह कि यदि प्रथम पक्ष को सम्बन्धित भूमि से सम्बन्धित वाद का अन्तिम रूप से सक्षम न्यायालय से समस्त निर्णय एवं आदेश प्रथम पक्ष के हक में आने के उपरान्त एवं प्रार्थिनी को विक्रय हस्तान्तरण विलेख के अधिकार प्राप्त होने के प्रश्चात् प्रथम पक्ष को लिखित नोटिस द्वारा सूचित करना होगा तथा सूचना के 1 माह बाद प्रथम पक्ष उक्त भूमि का बैनामा द्वितीय पक्ष के अथवा उसके नौमिनीज के पक्ष में करने के जिम्मेदार रहेगा और द्वितीय पक्ष उक्त वर्णित शेष धनराशि प्रथम पक्ष को अदा कर, अपने/अथवा अपने नौमिनीज/कम्पनी/फर्म के नाम में बैनामा करने/कराने का पाबन्द रहेगा। जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. यह कि द्वितीय पक्ष जब चाहे तब उपरोक्तानुसार अपनी इच्छानुसार उपरोक्त भूमि का विक्रय पत्र या अनेक विक्रयपत्र विभिन्न भागों में प्रथम पक्ष से अपने या अपने मनोनीत व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में पंजीकृत करा लेंगे। जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. यह कि कय स्टाम्प व फीस रजिस्ट्री यानि विक्रय पत्र की रजिस्ट्री से सम्बन्धित समस्त खर्चा द्वितीय पक्ष वहन करेंगे अग्रिम धन कभी ओर किसी भी सूरत में काबिले जर्की नहीं होगा।
6. यह कि उक्त भूमि पर यदि कोई ऋण, भार आदि पाया गया या अन्य किसी अन्य व्यक्ति या वित्तीय संस्था आदि से कोई धनराशि इस भूमि पर प्रथम पक्ष द्वारा ऋण या अन्य मध्ये प्राप्त की गई होगी तो द्वितीय पक्ष उसे सीधे प्रथम पक्ष के बिहाफ पर अदा कर प्रथम पक्ष की बकाया धनराशि से मुजरा कर, शेष धनराशि प्रथम पक्ष को अदा कर बैनामा/बैनामे अपने या अपने मनोनीत व्यक्ति/व्यक्तियों, फर्म, कम्पनी के पक्ष में कराने के अधिकारी रहेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
7. यह कि यदि उक्त अवधि के भीतर (धारा-3 के अनुसार) द्वितीय पक्ष जरे समन अदा करने तथा बैनामा अपने अथवा अपने नामजदा के पक्ष में रजिस्ट्री कराने से असमर्थ रहेंगे तो प्रथम पक्ष को हक होगा कि वह सक्षम अधिकारी से विक्रय के लिये



रजिस्ट्री कार्यालय

Rajesh

क्रमशः - 6

क्रेता

Registration No.: 15045

Year: 2014


Book No.: 1

0201 मे0 तिरुपति एसो0 द्वारा कारकून श्री राजेश चौधरी

शानमन्द

16 जमरुद पुर दिल्ली

Rajesh



(6)

आवश्यक यदि हो तो उस अनुज्ञा/परमीशन को प्राप्त कर बाद देने नोटिस मियादी एक माह रजिस्ट्रीशुदा तथा बाद गुजरने मियाद नोटिस भी न कराये जाने की सूत्र में प्रथम पक्ष न्यायालय की व्यवस्था के द्वारा पैसा वसूल करने और बैनामा करने के अधिकारी रहेंगे, जिसमें द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8. यह कि यदि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की इच्छानुसार उपरोक्तानुसार विक्रयपत्र या अनेक विक्रय पत्र द्वितीय पक्ष या उनके मनोनीत व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में लिखकर पंजीकृत करने में कोई आपत्ति इंकार या मना करेगें तों ऐसी प्रत्येक दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार प्राप्त होगा कि एक माह का लिखित रजिस्टर्ड नोटिस प्रथम पक्ष को देगा और फिर भी प्रथम पक्ष द्वारा बैनामा या बैनामें द्वितीय पक्ष या उनके मनोनीत व्यक्ति में पक्ष में ना करने पर द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह इस भूमि का विक्रय पत्र न्यायालय की व्यवस्था के द्वारा करा लें ऐसी प्रत्येक दशा में द्वितीय पक्ष का समस्त व्यय मय कानूनी ब्याज व हर्जा खर्चा प्रथम पक्ष के जिम्मे होगा। जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
9. यह कि यदि प्रथम पक्ष के स्वाभित्व में कोई कमी पाई जाती है तो द्वितीय पक्ष अपने द्वारा प्रथम पक्ष अथवा उसके विहाफ पर किसी अन्य को अपनी एडवांस/अग्रिम धन/पार्ट पेमेन्ट के रूप में अदा की गयी समस्त रकम मय हानि एवं हर्जे-खर्चे मय ब्याज बाजारी के प्रथम पक्ष से प्राप्त करने के अधिकारी रहेंगे।
10. यह कि उपरोक्त भूमि आज की तिथि तक किसी भी अर्जन विभाग द्वारा अर्जित नहीं की गई है और ना अर्जन हेतु प्रस्तावित है यही विश्वास प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को दिलाया है। भविष्य में उक्त विक्रयाधीन भूमि किसी भी विभाग द्वारा अर्जित की जाती है तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह मुआवजा प्राप्त करके उसमें से प्रथम पक्ष का शेष धन उसे अदा कर देगा। प्रथम पक्ष ऐसी सभी मुआवजा आदि उठाने सहित सभी कार्यवाही के लिये द्वितीय पक्ष को आवश्यक अधिकार-पत्र, मुख्तारनामा प्रदान करने के लिये बाध्य होगा।



(किसी भी हार्ड कॉपी)

Rajesh


कमरा :- 7





APR 20 1945
3/10





Handwritten text in Devanagari script, possibly a signature or date, located below the ink smudge.

Rajesh



आज दिनांक 09/12/2014 को

वही सं 1 जिल्द सं 10167

पृष्ठ सं 27 से 42 पर क्रमांक 15045

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम0 पी0 मिश्र

उपनिबन्धक तृतीय

मेरठ

9/12/2014

इस इकरारनामे पर दिया गया
स्थान ल० मेरठ
द० सं० 135/14 के साथ
समाप्त किया गया ।

उपनिबन्धक (तृतीय)
मेरठ



15105

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लेखपत्र का सक्षिप्त विवरण (विक्रय अनुबन्ध कब्जा रहित)

- 1- भूमि का प्रकार - कृषि
- 2- वार्ड परगना -
- 3- मौहल्ला / ग्राम - ग्राम नूरनगर परगना, ताहसील व जिला मेरठ
- 4- सम्पत्ति का विवरण - खसरा संख्या 167
- 5- सम्पत्ति का क्षेत्रफल - क्षेत्रफल 0.3240 हेक्टे0 में से 0.07485 हेक्टे0 यानि अपना कुल हक व हिस्सा
- 6- सडक की स्थिति - हापुड बाईपास से लगभग 700 मी0 की दूरी पर
- 7- दिया गया अग्रिम धन - अंकन 18,61,000/- (केवल अठ्ठारह लाख इकसठ हजार रुपये)
- 8- सर्किल रेट के अनुसार मालियत - अंकन 22,39,000/- (केवल बाईस लाख उन्तालीस हजार रुपये)



(कि० अ० श्रीमती पति)



कमश :- 2

Rajesh

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया
 रकम... 25,000...
 यह रकम... 125/16 के साथ
 समाप्त

३०
 ३०
 ३०
 - 8 DEC 2014
 से कायिद कर्तव्य ।
 कोयामार, मेरठ

Bar

कर्तव्य कायिद कर्तव्य
 कायिद कर्तव्य

११.१५




ADVOCATE



ADVOCATE

इस दस्तावेज को पढ़ा जाय
 कोयामार, मेरठ



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

प्रथम पक्ष की संख्या - 1

श्रीमती पीतो पत्नी श्री हेत सिंह पुत्री स्व० श्री बीरबल निवासी ग्राम मुबारिकपुर, तहसील
हुवाना व जिला मेरठ।

व्यवसाय - गृहणी

द्वितीय पक्ष की संख्या - 1

सर्स तिरुपति एसोसियेट्स कार्यालय ग्राम नूरनगर, मेरठ द्वारा कारकून श्री राजेश चौधरी
पुत्र श्री ज्ञानचन्द निवासी 16, जमरुद पुर, दिल्ली हाल निवासी ए-49, शताब्दी नगर,
मेरठ।

व्यवसाय :- व्यापार

कमरा :- 2

Rajesh

(श्रीमती पीतो)



(3)

विक्रय अनुबन्ध कब्जा रहित

स्टाम्प शुल्क :50,000/- रूपये।

हम कि श्रीमती पीतो पत्नी श्री हेत सिंह पुत्री स्व० श्री बीरबल निवासी ग्राम मुबारिकपुर,
तहसील मवाना व जिला मेरठ ————— प्रथम पक्ष।।

एवं

मैसर्स तिरूपति एसोसियेट्स कार्यालय ग्राम नूरनगर, मेरठ द्वारा कारकून श्री राजेश चौधरी
पुत्र श्री ज्ञानचन्द निवासी 16, जमरूद पुर, दिल्ली हाल निवासी ए-49, शताब्दी नगर,
मेरठ—————द्वितीय पक्ष।।

जोकि भूमि भूमिधारी मध्ये खसरा संख्या 167 क्षेत्रफल 0.3240 हैक्टे० भूमि के स्वामी
प्रथम पक्ष के पिता श्री बीरबल थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 0.1743 हैक्टे० भूमि
विक्रय कर दी थी। अब शेष 0.1497 हैक्टे० में से 0.07485 हैक्टे० भूमि स्थित ग्राम
नूरनगर परगना तहसील व जिला मेरठ यानि अपने कुल हक हिस्से के मालकिन एवं
स्वामिनी तथा हस्तान्तरणधिकारी मैं प्रथम पक्ष उपरोक्त हूँ। उपरोक्त भूमि मेरे पिता
स्व० श्री बीरबल पुत्र श्री रिसाल निवासी ग्राम नूरनगर परगना तहसील व जिला मेरठ
की मृत्यु के पश्चात बहैसियत वारिसान के रूप में प्राप्त हुई हैं। और समस्त राजस्व
अभिलेखों में विक्रयाधीन खसरा नम्बर पर प्रथम पक्ष का नाम रा०नि० द्वारा प्रपत्र पक
11ख दिनांक 13-08-2012 के आदेशानुसार मालिक एवं स्वामी के रूप में दर्ज हुआ
किन्तु उपरोक्त आदेश दिनांक 13-08-2012 के विरुद्ध एक वाद संख्या 74,
धारा-34 एल०आर०एक्ट० श्रीमती मंजू जैन आदि बनाम बीरबल में न्यायालय
तहसीलदार (न्यायिक) के आदेश दिनांक 13-12-2012 में राजस्व निरीक्षक का प्रपत्र
पक-11ख का आदेश दिनांक 13-08-2012, जिसमें मृतक बीरबल के स्थान पर मेशा
नाम जो बतौर वारिसान दर्ज हुआ था, की प्रविष्टि को निरस्त कर दिया गया।
उपरोक्त आदेश एवं निर्णय दिनांक 13-12-2012 के सम्बन्ध में मेरे द्वारा सक्षम
न्यायालय में श्रीमती मंजू जैन बनाम बीरबल दायर किया हुआ है जिसमें मैं प्रथम पक्ष

कमश :- 4

Rajesh


(नि० ३० श्रीमती पीतो)



विक्रय अनुबंध विलेख (विना कब्जा)

2,239,000.00 1,861,000.00 10,000.00 20 10,020.00 1,000

परिष्कार मालिक अग्नि श्रमशाही फौज रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क घोषा शुद्ध लगभग

श्रीमती पीली
पत्नी श्री हेम सिंह



जयराज

निवासी न्यायी मुबारिकपुर मवाना

अप्यादा पत्र

ने वह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 10/12/2014 समय 1:37PM

वर्त निबन्धन हेतु

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

एम० पी० मिश्र
उपनिबन्धक तृतीय
मेरठ

10/12/2014

विष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. फलेवानुसार उक्त

धिकेता

केता

श्रीमती पीली
पत्नी श्री हेम सिंह
पेशा
निवासी मुबारिकपुर मवाना मेरठ

श्री मे० तिरुपति एस०० द्वारा कारकून राजेश चौधरी
पुत्र श्री ज्ञानचन्द
पेशा
निवासी ए 49 शताब्दी नगर मेरठ

ने तिष्पादन मकीकार किया

किन्की पहचान श्री रिकु

पुत्र श्री मनीराम

पेशा

निवासी रसूलपुर गावंडी मेरठ

व श्री रमेश

पुत्र श्री हेम सिंह

पेशा

निवासी मुबारिकपुर मेरठ

ने को

अन्तर्गत भद्र नाशियों के निशान अंगुठे निबन्धानुसार लिखे गये हैं।

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

एम० पी० मिश्र
उपनिबन्धक तृतीय
मेरठ

10/12/2014

विक्रेता

Registration No.: 15405

Year: 2014

Book No.: 1

0101 पीतो

हेम तित

मुंबईपूर सभा संस्था



(5)

3. यह कि यदि प्रथम पक्ष को सम्बन्धित भूमि से सम्बन्धित वाद का अन्तिम रूप से सक्षम न्यायालय से समस्त निर्णय एवं आदेश प्रथम पक्ष के हक में आने के उपरान्त एवं प्रार्थिनी को विक्रय हस्तान्तरण विलेख के अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् प्रथम पक्ष को लिखित नोटिस द्वारा सूचित करना होगा तथा सूचना के 1 माह बाद प्रथम पक्ष उक्त भूमि का बैनामा द्वितीय पक्ष के अथवा उसके नौमिनीज के पक्ष में करने के जिम्मेदार रहेगा और द्वितीय पक्ष उक्त वर्णित शेष धनराशि प्रथम पक्ष को अदा कर, अपने/अथवा अपने नौमिनीज/कम्पनी/फर्म के नाम में बैनामा करने/कराने का पाबन्द रहेगा। जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. यह कि द्वितीय पक्ष जब चाहे तब उपरोक्तानुसार अपनी इच्छानुसार उपरोक्त भूमि का विक्रय पत्र या अनेक विक्रयपत्र विभिन्न भागों में प्रथम पक्ष से अपने या अपने मनोनीत व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में पंजीकृत करा लेंगे। जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. यह कि कय स्टाम्प व फीस रजिस्ट्री यानि विक्रय पत्र की रजिस्ट्री से सम्बन्धित समस्त खर्चा द्वितीय पक्ष वहन करेंगे अग्रिम धन कभी ओर किसी भी सूरत में काबिले जबाबी नहीं होगा।
6. यह कि उक्त भूमि पर यदि कोई ऋण, भार आदि पाया गया या अन्य किसी अन्य व्यक्ति या वित्तीय संस्था आदि से कोई धनराशि इस भूमि पर प्रथम पक्ष द्वारा ऋण या अन्य मध्ये प्राप्त की गई होगी तो द्वितीय पक्ष उसे सीधे प्रथम पक्ष के बिहाफ पर अदा कर प्रथम पक्ष की बकाया धनराशि से मुजरा कर, शेष धनराशि प्रथम पक्ष को अदा कर बैनामा/बैनामे अपने या अपने मनोनीत व्यक्ति/व्यक्तियों, फर्म, कम्पनी के पक्ष में कराने के अधिकारी रहेगा जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
7. यह कि यदि उक्त अवधि के भीतर (धारा-3 के अनुसार) द्वितीय पक्ष जरे समन अदा करने तथा बैनामा अपने अथवा अपने नामजदा के पक्ष में रजिस्ट्री कराने से असमर्थ रहेगा तो प्रथम पक्ष को हक होगा कि वह सक्षम अधिकारी से विक्रय के लिये

कमश :- 6

Rajesh


(कि. का. जी. म. पी. लि.)



केला

Registration No. : 15105

Year: 2014

Book No. : 1

0201 नो तिरुपति एसो0 द्वारा कारकून राजेश चौधरी
इमानचक्र
ए 49 सतलुडी नगर मेरुड


Rajesh




(6)

आवश्यक यदि हो तो उस अनुज्ञा/परमीशन को प्राप्त कर बाद देने नोटिस मियादी एक माह रजिस्ट्रीशुदा तथा बाद गुजरने मियाद नोटिस भी न कराये जाने की सूत्र में प्रथम पक्ष न्यायालय की व्यवस्था के द्वारा पैसा वसूल करने और बैनामा करने के अधिकारी रहेंगे, जिसमें द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8. यह कि यदि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की इच्छानुसार उपरोक्तानुसार विक्रयपत्र या अनेक विक्रय पत्र द्वितीय पक्ष या उनके मनोनीत व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में लिखकर पंजीकृत करने में कोई आपत्ति इंकार या मना करेगें तों ऐसी प्रत्येक दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार प्राप्त होगा कि एक माह का लिखित रजिस्टर्ड नोटिस प्रथम पक्ष को देगा और फिर भी प्रथम पक्ष द्वारा बैनामा या बैनामें द्वितीय पक्ष या उनके मनोनीत व्यक्ति में पक्ष में ना करने पर द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह इस भूमि का विक्रय पत्र न्यायालय की व्यवस्था के द्वारा करा लें ऐसी प्रत्येक दशा में द्वितीय पक्ष का समस्त व्यय मय कानूनी ब्याज व हर्जा खर्चा प्रथम पक्ष के जिम्मे होगा। जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
9. यह कि यदि प्रथम पक्ष के स्वागित्व मे कोई कमी पाई जाती है तो द्वितीय पक्ष अपने द्वारा प्रथम पक्ष अथवा उसके बिहाफ पर किसी अन्य को अपनी एडवांस/अग्रिम धन/पार्ट पेमेन्ट के रूप में अदा की गयी समस्त रकम मय हानि एवं हर्जे-खर्चे मय ब्याज बाजारी के प्रथम पक्ष से प्राप्त करने के अधिकारी रहेंगे।
10. यह कि उपरोक्त भूमि आज की तिथि तक किसी भी अर्जन विभाग द्वारा अर्जित नहीं की गई है और ना अर्जन हेतु प्रस्तावित है यही विश्वास प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को दिलाया है। भविष्य में उक्त विक्रयाधीन भूमि किसी भी विभाग द्वारा अर्जित की जाती है तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह मुआवजा प्राप्त करके उसमें से प्रथम पक्ष का शेष धन उसे अदा कर देगा। प्रथम पक्ष ऐसी सभी मुआवजा आदि उठाने सहित सभी कार्यवाही के लिये द्वितीय पक्ष को आवश्यक अधिकार-पत्र, मुख्तारनामा प्रदान करने के लिये बाध्य होगा।

साक्षी :- 
रजेश (S) इमारत
ग्राम मुवावजा
(प्ररठ)


(प्ररठ श्रीमती पी.पी.)


कमरा :- 7






10/14/68





(Printed name)

Rajesh



(7)

11. यह कि उपरोक्त समस्त नियमों की पाबन्दी उभय पक्ष एवं उनके वारिसान उत्तराधिकारीगण पर पूर्ण रूप से लागू रहेगी। अतः यह प्रतिज्ञापत्र लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो और उचित समय पर काम आवें। इति।।


विवरण प्राप्ति विक्रय मूल्य

1. अंकन रूपये 4,00,000/- (केवल चार लाख रूपये) द्वारा पे-आर्डर संख्या 467609 दिनांक 08-12-2014 मौसूमा कार्पोरेशन बैंक, साकेत, मेरठ प्राप्त कियें।
2. अंकन 14,61,000/- (केवल चौदह लाख इक्सठ हजार रूपये) पूर्व में विभिन्न दिनांको में नगद गवाहों के समक्ष प्राप्त कियें।

गवाह:-

1. Rinkoo Kumar
रिंकू कुमार अ. अमीरामसिंह
मिठ ६६५५८ गण्डी किला मेरठ


(प्रथम पक्ष)
(रिंकू कुमार अमीरामसिंह)

2. 
महेशचन्द्रावरुण, नैरवर्ण नगर
धाम-गुवाक कुटुम्बिके,

Rajesh
(द्वितीय पक्ष)



लिखित दिनांक 07-12-2014 मसविदा श्री विपिन कुमार बिश्नोई, एडवोकेट, मेरठ ।


- VIPIN KUMAR BISHNOI
ADVOCATE

आज दिनांक 10/12/2014 को

वही सं 1 जिल्द सं 10169

पृष्ठ सं 303 से 318 पर क्रमांक 15105

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

एम० पी० मिश्र

उपनिबन्धक तृतीय

मेरठ

10/12/2014

इस इच्छावसति पर दिया गया
स्थान सं.....
दो नं.....के साथ
समाप्त।

उपनिबन्धक (तृतीय)
मेरठ



135

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs. 25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 859020

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण (विक्रय-पत्र)

- | | |
|---|--|
| 1- भूमि का प्रकार | - कृषि भूमि |
| 2- बाड़ परगना | - 57 |
| 3- गौडला/ग्राम | - नूरनगर के जंगल में |
| 4- सम्पत्ति का विवरण | - भूमि मध्ये खसरा संख्या 167अ व 167ब (167) |
| 5- सम्पत्ति का क्षेत्रफल | - क्षेत्रफल 0.1497 हेक्टर |
| 6- सड़क की स्थिति- मेरठ-हापुड बाईपास से लगभग 700 मी० रेलवे लाईन की ओर | |
| 6- सड़क की स्थिति | - हापुड बाईपास से लगभग 500 मी० की दूरी पर |
| 7- प्रतिफल की राशि | - अंकन 44,78,000/- (केवल चवालिस लाख अट्ठत्तर हजार रुपये) |
| 8- सर्किल रेट के अनुसार मूल्य-अंकन 58,39,000/- (केवल अट्ठावन लाख उन्तालीस हजार रुपये) | |

कमरा :- 2

(1-1-2012 को जारी किया गया)

(1-1-2012 को जारी किया गया)

Signature



Rs 309 only

नाम: शिवशंकर
 पता: शिवशंकर देवोसिया
 - 5 JAN 2016
 वेतन: 1116
 पद: सहायक
 स्थान: सोमनाथ, वेरावल

शिवशंकर देवोसिया



(शिवशंकर देवोसिया)



प्रदीप



(शिवशंकर देवोसिया)



शिवशंकर देवोसिया



शिवशंकर देवोसिया



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

- 5

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 859019

(2)

प्रथम पक्ष की संख्या - 2

श्रीमती छोटी उर्फ कान्ति पत्नी श्री जिले सिंह एवं श्रीमती पीतो पत्नी श्री हेत सिंह पुत्रीगण
स्व० श्री वीरबल निवासीगण ग्राम मुबारिकपुर, तहसील मवाना व जिला मेरठ।

वोटर कार्ड संख्या :-UP/80/393/0090518, MQZ1420447

व्यवसाय - गृहणी

द्वितीय पक्ष की संख्या - 1

मैसर्स तिरुपति एसोसियेट्स कार्यालय ग्राम नूरनगर, मेरठ द्वारा कारकून श्री राजेश चौधरी
पुत्र श्री ज्ञानचन्द निवासी 16, जमरुद पुर, दिल्ली हाल निवासी ए-49, शताब्दी नगर, मेरठ।

पैन न०

व्यवसाय :- व्यापार

कमरा - 3

(निर्वाह छोटी उर्फ कान्ति)

(निर्वाह वीले)

Rajesh

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 859018

859018

(3)

विकय पत्र

विकय पत्र :- अंकन 44,78,000/- (केवल चवालिस लाख अठैत्तर हजार रुपये)

सर्किल रेट के अनुसार गालियत- अंकन 58,39,000/- (केवल अटठावन लाख उन्तालीस हजार रुपये)

स्टाम्प शुल्क अंकन 3,08,800/- रुपये ।

सम्मिलित स्टाम्प अंकन 1,00,000/-

एडजस्टमेंट फीस अंकन 100/-

कुल स्टाम्प शुल्क 4,09,000/- रुपये ।

जो कि विक्रेता द्वारा अपनी भूमि-भूमिधारी खसरा संख्या 167अ व 167ब (167) क्षेत्रफल 0.1497 हेक्टे० स्थित ग्राम नूरनगर परगना तहसील व जिला मेरठ, का दो इकरारनामो (कब्जा रहित) के द्वारा कमशः लिखित दिनांक 07-12-2014 जिसका पंजीकरण वही न० 1 जिल्द


कमश :- 4

(कि० अ० गौरी उर्फ कौस्तुभ)

(कि० अ० पीला)

Rajesh





4,478,000.00 / 5,839,000.00 विक्रय पत्र 20,000.00 120 20,120.00 48
 प्रतिफल मालियत में के छोटी उर्फ कान्ति काला कीव रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क वोग पृष्ठों की संख्या

श्रीमती छोटी उर्फ कान्ति पत्नी श्री जिले सिंह

व्यपस्य निवासी स्थायी मुबारिक पुर मेरठ अस्थायी पता मेरठ के हाटो उर्फ काला में यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 5/1/2016 समय 2:33PM



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
 उपनिबन्धक तृतीय
 मेरठ नवीन गान्धी
 5/1/2016 (निबन्धक)

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व सम्झाने नजमून व प्राण धनमशि के पले धानसार उक्त विक्रेता के हाटो उर्फ काला केला

श्रीमती छोटी उर्फ कान्ति पत्नी श्री जिले सिंह पेशा निवासी मुबारिक पुर मेरठ

मे0 तिरुपति एस00 द्वारा श्री राजेश चौधरी पुत्री श्री जानचन्द पेशा निवासी 16 जमरुद पुर दिल्ली

श्रीमती पीतो के हाटो उर्फ काला पत्नी श्री हेत सिंह पेशा निवासी मुबारिक पुर

Rajesh



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

10167 के पेज संख्या 27 से 42 पर कम संख्या 15045 पर दिनांक 09-12-2014 तथा दूसरा लिखित दिनांक 07-12-2014 जिसका पंजीकरण बही न0 1 जिल्द 10169 के पेज संख्या 303 से 318 पर कम संख्या 15105 पर दिनांक 10-12-2014 को सब रजिस्ट्रार मेरठ तृतीय के यहां पर हुआ है, केता फर्म के पक्ष में पंजीकृत कराया गया था, जिस पर नियमानुसार अंकन 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) का स्टाम्प अदा किया गया था। विकीत भूमि-भूमिधरी स्थित खसरा संख्या 167अ व 167ब (167) क्षेत्रफल 0.1497 हैक्टे0 स्थित ग्राम नुरनगर परगना तहसील व जिला मेरठ में स्थित है और राजस्व अभिलेखों में


कमरा :- 5

(प्रारंभिकी उर्फ लाम्प)

(पि.अ. कीर्ति)

Reyes





ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान सोहन सहाय
वकील सहाय

Sohani Sahay

पेशा

निवासी शिव पुरी खतीली

व

रिंक
भनीराम

पेशा

निवासी रशूल पुर गावडी मेरठ

वे को

Rishu Koo Maan



एकत्रित: २२ मार्च २०१६ दिनांक अंगुठे नियमानुसार लिये गये हैं।


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[Signature]

उपनिबन्धक तृतीय
मेरठ

5/1/2016

नवीन गुप्ता
(निष्पादन हेतु)



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL


रु.
15000

पन्द्रह हजार रुपये



SEVENTEEN
THOUSAND RUPEES

Rs.
15000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

885113

(5)

कृषि भूमि के रूप में अंकित हैं और मौके पर भी खेती हो रही है। जो नगर निगम की सीमा के अन्दर हैं। चूंकि उपरोक्त वर्णित भूमि के इकरारनामा कब्जा रहित दिनांक 07-12-2014 पर अंकन 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) का स्टाम्प अदा किया गया था किन्तु उक्त वर्णित ग्राम की सर्किल रेट दर में वर्तमान में वृद्धि हो चुकी है और जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट मेरठ द्वारा दिनांक 02-08-2015 को मेरठ तहसील क्षेत्र तृतीय कार्यालय हेतु जारी सर्किल रेट की सूची में पेज संख्या 37 पर दर्शित तालिका में दर्शित ग्रामों में क्रम संख्या-267 पर नूरनगर ग्राम के लिये लागू सर्किल रेट अंकन 3,90,00,000/-


क्रमशः :- 6

(निवेदन डॉटि उर्फ गार्स)

(रिफरेंस फिल)

Rajesh





विक्रेता

Registration No.

135

Year :

2016

Book No. :

0101

छोटी सर्फ कान्ति

जिले सिव

मुबारिक पुर

सि. क. द्वारा उभे कान्ति




0102

पीतो

हेल सिव

मुबारिक पुर

सि. क. द्वारा उभे कान्ति



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रूपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 859010

(6)

रूपये प्रति हेक्टे० की दर लागू की गई है और जोकि वर्तमान में प्रचलित है, से सर्किल रेट के अनुसार मालियत-अंकन 58,39,000/- (केवल अठ्ठावन लाख उन्तालीस हजार रूपये) बैठती है, पर अदा किये जाने वाला स्टाम्प (7 प्रतिशत) अंकन 4,08,800/- (केवल चार लाख आठ हजार आठ सौ रूपये) होता है। अतः इस बैनामे में अंकन 1,00,000/- (केवल एक लाख रूपये) का स्टाम्प एडजस्ट कर शेष अंकन 3,09,000/- (केवल तीन लाख नौ हजार रूपये) के स्टाम्प पर बैनामे की कार्यवाही पूर्ण की जा रही है एवं अंकन एक सौ


कमश :- 7

(रफ अकाली अकाली अकाली)

(रफ अकाली अकाली)

Rajesh





क्रेता

Registration No. : 135

Year : 2,016

Book No. : 1

0201 श्री0 तिरुपति एसो0 द्वारा श्री राजेश चौधरी

ज्ञानयन्त्र

10 अमरकंटक पुर दिल्ली

Rajesh




भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 859011

(7)

रुपये का स्टाम्प एडजस्टमेंट फीस के रूप में अदा किया जा रहा है तथा सामान्य निर्देश की धाराओं का सत्यतापूर्वक पालन किया गया है, जिसके अनुसार स्टाम्प अदा किया गया है। जमीन की किस्म सेवटा हैं। विक्रेतागण या क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। विक्रय पत्र और श्रीमती छोटी उर्फ कान्ति पत्नी श्री जिले सिंह एवं श्रीमती पीतो पत्नी श्री हेत सिंह पुत्रीगण स्व० श्री वीरवल, निवासीगण ग्राम मुबारिकपुर, तहसील गवाना ब. जिला मेरठ है:-

(श्री उर्फ कान्ति)

(श्री वीरवल)

कमरा :- 8

Rajesh



10 25

6 5/11/18

W1

शिव पुरी

गवाह

Registration No.: 135

Year: 2016

Book No.: 1

W1 चोहन सहाय
 वकील सहाय
 शिव पुरी खडौली

Chohan Sahay



W2 रिकू
 मनीराम
 रसूल पुर गावडी मेरठ

Rikoo Maniram



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.
25000

पच्चीस हजार रुपये




Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



859012

(8)

जोकि भूमि भूमिधरी खसरा संख्या 167अ व 167ब (167) क्षेत्रफल 0.3240 हेक्टे० भूमि के स्वामी प्रथम पक्ष के पिता श्री बीरबल थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 0.1743 हेक्टे० भूमि दिनांक 14-12-2001 को विक्रय कर दी थी। अब शेष बची 0.1497 हेक्टे० भूमि स्थित ग्राम नूरनगर परगना तहसील व जिला मेरठ यानि की 0.1497 हेक्टे० की मालकिन एवं स्वामिनी तथा हस्तान्तरणधिकारी उपरोक्त विक्रेत्रीगण बजरिए विरासत है। उपरोक्त विक्रयाधीन भूमि 0.1497 हेक्टे० हमारे पिता स्व० श्री बीरबल पुत्र श्री रिसाल निवासी ग्राम नूरनगर परगना तहसील व जिला मेरठ की मृत्यु के पश्चात बहैसियत वारिसान के रूप में प्राप्त हुई हैं। और

कमश :- 9

Rajes



(पिता की बही उर्फ सास)



(पिता की बही)



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 859013

(9)

समस्त राजस्व अभिलेखों में विकयाधीन खसरा नम्बर पर हमारा का नाम रा0नि0 द्वारा प्रपत्र पक 11ख दिनांक 13-08-2012 के आदेशानुसार मालिक एवं स्वामी के रूप में दर्ज हुआ किन्तु उपरोक्त आदेश दिनांक 13-08-2012 के विरुद्ध एक वाद संख्या 74, धारा-34 एल0आर0एक्ट0 श्रीमती मंजू जैन आदि बनाम बीरबल में न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक) के आदेश दिनांक 13-12-2012 में राजस्व निरीक्षक का प्रपत्र पक-11ख का आदेश दिनांक 13-08-2012, जिसमें मृतक बीरबल के स्थान पर हमारा नाम जो बतौर वारिसान दर्ज हुआ था, उस प्रविष्टि को निरस्त कर दिया गया। उपरोक्त आदेश एवं निर्णय दिनांक 13-12-2012 के सम्बन्ध में हमारे द्वारा श्रीमती मंजू जैन बनाम बीरबल निगरानी

कमरा :-10

Rajesh

(P30 दोरी अफ जाल)

(P30 कील)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 859014

(10)

संख्या-32/2014-15 दिनांक 22-12-2015 को न्यायालय अमर आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के यहाँ दायर किया जिसमें निर्णय एवं आदेश हमारे पक्ष में दिनांक 22-12-2015 को हो गया है। अपर आयुक्त मेरठ मण्डल ने अपने आदेश एवं निर्णय में कहा है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-10-2014 एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-05-2013 एवं 16-12-2013 निरस्त किये जाते है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-02-2013 इस हद तक संशोधित किये जाने योग्य है कि नूमे खसरा संख्या 167अ, 167ब स्थित ग्राम नूरनगर जिला मेरठ के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.3240 हेक्टे० में से विकीत क्षेत्रफल 0.1743 हेक्टे० को छोडकर बाकी बचे अविवादित क्षेत्रफल 0.149 हेक्टे० पर निगरानीकर्तागण के नाम की प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में पूर्व की

कमश :- 11

Rajesh

(पुस्तक देखी ऊपर फाँसी)

(कि०३३० वीली)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 859015

(11)

भांति बतौर विरासतन दर्ज की जायें। अतः विक्रीत भूमि 0.1497 हैक्टे० आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्त एवं रहित हैं जिसकी जमानत पर विक्रेत्रीगण ने कोई ऋण किसी बैंक, संस्था सरकारी, गैर सरकारी, सहकारी या व्यक्ति से प्राप्त नहीं किया है और हम विक्रेत्रीगण को पूर्ण स्वामिनी, भूमिधर एवं विक्रयाधिकारिणी होने के नाते उपरोक्त भूमि को विक्रयपत्र आदि द्वारा हस्तांतरित करने के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं जिसको विक्रय करने में कोई कानूनी दोष बाधक नहीं हैं। अतः उपरोक्त खसरा संख्या 167अ व 167ब (167) क्षेत्रफल 0.1497 हैक्टे० स्थित ग्राम नूरनगर परगना तहसील व जिला मेरठ को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, किसी भी अधिकार के स्वत्व को अपने पास रोके बिना चाहे उसका वर्णन इस विक्रय-विलेख में किया

कमश :- 12

Rajesh

(Rajesh कोटी उर्फ भांति)

(Rajesh कोटी)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 859016

(12)

गया हो अथवा न किया गया हो स्वस्थ मस्तिष्क के व निर्मल इन्द्रियों की दशा में अंकन 44,78,000/- (केवल चवालिस लाख अठैत्तर हजार रुपये) कि जिसके आधे अंकन 22,39,000/- (केवल बाईस लाख उन्तालीस हजार रुपये) होते हैं, विक्रय मूल्य के उपलक्ष में मैसर्स तिरुपति एसोसियेट्स कार्यालय ग्राम नूरनगर, मेरठ द्वारा कारकून श्री राजेश चौधरी पुत्र श्री ज्ञानचन्द निवासी 16, जमरूद पुर, दिल्ली हाल निवासी ए-49, शताब्दी नगर, मेरठ को विक्रय कर दी हैं और बेच डाली हैं और समस्त विक्रय मूल्य ब्यक्त बैनामा केता फर्म से निम्नलिखितानुसार प्राप्त करके उपरोक्त भूमि-भूमिधरी को अपने अधिकार स्वामित्व एवम् अधिपत्य एवं आदि से निकालकर केता फर्म के अधिकार स्वामित्व एवम्

कमश :- 13

Rajesh

(PP के डेवी उर्फ आरि)

(PP के डेवी उर्फ आरि)



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
15000

पन्द्रह हजार रुपये

~~FIFTEEN~~
THOUSAND RUPEES

Rs.
15000



INDIA



885112

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(13)

अधिमत्य व कब्जे आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी, भूमिधर एवम् वास्तविक अधिकारी बना दिया है और अब हम विकेंत्रीगण का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का विक्रीत भूमि-भूमिधरी से शेष नहीं रहा है और न भविष्य में होगा। कंता महोदय दाखिल-खारिज कराकर कागजात माल/राजस्व सरकारी में अपना नाम पूर्ण स्वामी के रूप में अंकित करा लेने के अधिकारी रहेंगे। यदि कागजात माल में नाम अंकित कराने के सम्बन्ध में अगर हमारी कहीं पर भी कमी भी उपस्थिति एवं सहमति या दस्तखतों वगैरा की आवश्यकता होगी

कमश :- 14



(राजेश कोठी इफि जालिन)



(Homelior)

Rajesh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 301732

(14)

तो उसमें हमारी कोई आपत्ति व गैर हाजिरी नहीं होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रीत भूमि-भूमिधरी अथवा उसका अंश किसी भी वैधानिक त्रुटिवश अथवा दोषवश क्रेता के अधिकार स्वामित्व एवम् अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या कोई ऋण या भार विक्रीत भूमि-भूमिधरी पर पाया जायेगा और क्रेता फर्म को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये चुकता करना पड़ जायेगा या विक्रयपत्र मिलकियत में कमी पाये जाने के कारण किसी न्यायालय द्वारा गलत सिद्ध हो जायेगा तो प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता फर्म को अधिकार प्राप्त होगा कि अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी भी दशा हो क्षति व खर्चा बैनामा व मय ब्याज बाजारी व वाद व्यय सहित हम विक्रेत्रीगण एवं हमारे उत्तराधिकारीगणों की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार उचित जाने वापस प्राप्त कर लें जिसमें हम विक्रेत्रीगण या हमारे उत्तराधिकारियोंगणों को या अन्य किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आज वास्तविक भौतिक एवं विधिक हस्तान्तरण कार्यान्वित हुआ यह विक्रय

कमरा - 15

Rajesh

(फर्म के डी.डी. के माध्यम से)

(फर्म के डी.डी. के माध्यम से)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 301731

(15)

विलेख पूर्णतया उचित वैधानिक एवम् सर्वमान्य हैं और प्रयोग होने योग्य हैं। अतः यह विक्रयपत्र लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो।। (इति)

विवरण प्राप्ति मूल्य:-

1. अंकन ~~₹~~रुपये 4,00,000/- (केवल चार लाख रुपये) द्वारा पे-आर्डर संख्या 467608 दिनांक 08-12-2014 मौसूमा कार्पोरेशन बैंक, साकेत, मेरठ प्राप्त किये।
2. अंकन 14,61,000/- (केवल चौदह लाख इक्सठ हजार रुपये) इकरारनामा दिनांक 07-12-2014 से पूर्व विभिन्न दिनांको में प्राप्त किये।
3. अंकन ~~₹~~रुपये 4,00,000/- (केवल चार लाख रुपये) द्वारा पे-आर्डर संख्या 467609 दिनांक 08-12-2014 मौसूमा कार्पोरेशन बैंक, साकेत, मेरठ प्राप्त किये।
4. अंकन 14,61,000/- (केवल चौदह लाख इक्सठ हजार रुपये) इकरारनामा दिनांक 07-12-2014 से पूर्व विभिन्न दिनांको में प्राप्त किये।

5. कमरा - 16

Rajesh

(१७३० बोरी ३६६ नान)

(११०५६ ए/ए)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(16)

6. अंकन 1,53,000/- (केवल एक लाख तरेपन हजार रुपये) द्वारा बैंक संख्या 793848 दिनांक 05-01-2016 मौसूमा कार्पोरेशन बैंक, प्रभात नगर, मेरठ प्राप्त किये।
7. अंकन 3,53,000/- (केवल तीन लाख तरेपन हजार रुपये) द्वारा बैंक संख्या 793849 दिनांक 05-01-2016 मौसूमा कार्पोरेशन बैंक, प्रभात नगर, मेरठ प्राप्त किये।
8. अंकन 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) द्वारा बैंक संख्या 793844 दिनांक 08-04-2015 मौसूमा कार्पोरेशन बैंक, प्रभात नगर, मेरठ प्राप्त किये।
9. अंकन 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपये) द्वारा बैंक संख्या 793846 दिनांक 22-12-2015 मौसूमा कार्पोरेशन बैंक, प्रभात नगर, मेरठ प्राप्त किये।
10. अंकन 15,000/- (केवल पन्द्रह हजार रुपये) नगद दिनांक 24-05-2015 को प्राप्त किये।
11. अंकन 10,000/- (केवल दस हजार रुपये) नगद दिनांक 30-05-2015 को प्राप्त किये।

श्री
मौसूमा कार्पोरेशन बैंक
आर.एम.एम. (20)


(श्री देवी उर्फ आर.एम.एम.)

(श्री देवी उर्फ आर.एम.एम.)

कमरा :- 17

Rajesh





СРР 000 100 300 500


(1000 100)

Rajesh



नक्शा नजरी

- बैनामा मालियत / सर्किल रेट के अनुसार मालियतअंकन 44,78,000/- 58,39,000/-
- विक्रेता का नाम व पता: श्रीमती छोटी उर्फ कान्ति पत्नी श्री जिले सिंह एवं श्रीमती पीतो पत्नी श्री हेत सिंह पुत्रीगण स्व० श्री बीरबल निवासीगण ग्राम मुबारिकपुर, तहसील मवाना व जिला मेरठ।
- क्रेता का नाम व पता मैसर्स तिरुपति एसोसियेटस कार्यालय ग्राम नूरनगर, मेरठ द्वारा कारकून श्री राजेश चौधरी पुत्र श्री ज्ञानचन्द निवासी 16, जमरूद पुर, दिल्ली हाल निवासी ए-49, शताब्दी नगर, मेरठ।
- सम्पत्ति स्थित मौजा ग्राम नूरनगर
- विक्रीत प्लॉट/भवन/दुकान/ खसरा संख्या 167अ व 167ब (167) क्षेत्रफल 0.1497 हैक्टे० स्थित ग्राम नूरनगर परगना तहसील व जिला मेरठ



विक्रीत भूमि की 50 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण

1. नाम सड़क कोई नहीं
2. आवासीय/वाणिज्यक भूमि/ भवन /आधौगिक कोई नहीं
3. शैक्षिक /धर्माध्य /स्वास्थ्य केन्द्र कोई नहीं
4. आधौगिक संस्थान /कोल्ड स्टोरेज कोई नहीं
5. गैस गोदाम /पेट्रोल पम्प / बस अड्डा कोई नहीं.....
6. होटल रैस्टोरैन्ट /मनोरंजन केन्द्र कोई नहीं.....
7. सरकारी /अर्द्ध सरकारी /निगमित कार्यालय कोई नहीं.....
8. अन्य कोई नहीं

घोषणा :- किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

दिनांक 05-01-2016



(श्री राजेश चौधरी)



(श्री जिले सिंह)

Rajesh



